


41/2012

15.7.19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार अलग अलग समय में वकील व वादी को आवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई हाजिर नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि वकील वादी अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसी सूरत में वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवना

